न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 15/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/75

अपीलाण्ट :–
श्रीमती हीरा पुत्री जेठाराम पत्नी लालू, जाति कीर, निवासी मानपुरा हाल निवासी बेरा काचोड़ा, रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मृतक घीसा पुत्र जेठा, जाति कीर निवासी मानपुरा, तहसील पाली के कायम मुकाम :–
   1/1. नरपत पुत्र घीसू,
   1/2. कानाराम पुत्र घीसू,
   1/3. गोरधन पुत्र घीसू,
   1/4. कसुम्बी बेवा घीसू,
   1/5. सीता पुत्री घीसू,
   1/6. ओटी पुत्री घीसू,
   1/7. उमराव पुत्री घीसू,
   1/8. धापू पुत्री घीसू,
   1/9. पप्पू पुत्री घीसू,
   1/10. सुखी पुत्री घीसू
   तमाम जातिगण कीर, निवासी मानपुरा, तहसील पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.05.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम मानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 08.05.1983 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल वकालतन एवं असालतन वक्त बहस अनुपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व. जेठा की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम मानपुरा में खसरा संख्या 355/139 रकबा 10 बीघा स्थित है। अपीलाण्ट के पिता जेठा की मृत्यु सन् 1983 को हुई। अपीलाण्ट ने कथन किया कि स्व. जेठा के विधिक वारिशान् अपीलाण्ट, रेस्पो. संख्या 01 व दो अन्य सायरी व कसुम्बी थे। अपीलाण्ट के पिता फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 08.05.1983 भरा गया जिसमें केवल रेस्पो. संख्या 01 को खातेदार बनाया गया जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक जेठा की पत्नी, दो पुत्री व एक पुत्र जीवित था तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार सभी विधिक उत्तराधिकारियों का हिस्सा कानूनन था परन्तु सम्पूर्ण खसरे की कृषि भूमि का

विरासत का नामान्तरकरण मात्र रेस्पो. संख्या 01 के नाम स्वीकृत किया। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं को मृतक जेठा की पुत्री होने व उसे विरासत के अपीलाधीन निर्णय में वंचित करने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत करता है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेशसुदा इस न्यायालय के पूर्व अपील संख्या 29/2012 निर्णय दिनांक 20.02.2014 से अपीलाण्ट व उसकी बहन सायरी के पक्ष में विरासत से वंचित रखे जाने के कारण इन्हीं पक्षकारों के मध्य अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया था। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की सम्पति में पुत्री का हक भी होता है जिससे जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या उचित प्रतीत नहीं होता है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 08.05.1983 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएव जैर नामान्तरकरणं को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में मृतक जेठा के विधिक वारिसान् की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली